(19)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल महोदय (म0प्र0) ग्वालियर

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R. 1144-II-17

कमलेश्वर सिंह चौहान तनय श्री मोतीलाल सिंह चौहान उम्र– 80 वर्ष, पेशा–सेवा निवृत्त सैनिक निवासी ग्राम–समदा, पुरानी तहसील–सिहावल, हाल तहसील–बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

कुंवरसिंह कुशवाह को

द्वारा आज दि. 12-4-17 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. ददन सिंह चौहान तनय श्री मोतीलाल सिंह चौहान उम्र– 75 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम–समदा, पुरानी तहसील–सिहावल, हाल तहसील–बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन

————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील–सिहावल जिला–सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 242/अ–19(2)। 1985–86 में पारित आदेश दिनांक– 27.10.1986 जिसके द्वारा ग्राम–समदा, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी की आराजी खसरा क्रमांक– 106 का जुज रकवा 1.017 हे0 भूमि जो आम रास्ता हेतु सुरक्षित थी का व्यवस्थापन नितान्त अवैधानिक तरीके से अनावेदक क्रमांक– 1 के नाम किया गया है से व्यथित निगरानी।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(कुंवरसिंह कुशवाह)

12/4/2017 (2230 ओ...)

मार्फत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1144–दो/17 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–17	आवेदक अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित होकर तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी के राजस्व प्रकरण कमांक 242/अ–19(2) 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 27.10.1986 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ आवेदन पत्र हितबद्व पक्षकार मानकर निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति भी चाही गई है क्यों कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि ग्राम समदा तहसीलदार सिहावल जिला सीधी की आराजी खसरा कमांक 106 का जुज रकवा 1.017 है0 भूमि जो आम रास्ता हेतु सुरक्षित थी का व्यवस्थापन नितांत अवैधानिक तरीके से अनावेदक कमांक–1 द्वारा करा लिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया गया है	

कि आवेदक सेना में सर्विस करता था इसलिये उसे पता नहीं चला कि अनावेदक द्वारा कब व्यवस्थापन करा लिया गया और उसे पक्षकार भी नहीं बनाया गया, जबकि उक्त खसरे में आवेदक का कब्जा अंकित था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में लगभग 30 वर्ष पश्चात निगरानी विलंब से प्रस्तुत की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये है जिसमें विलंब मांफ किया जा सके। समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये । आवेदक अधिवक्ता विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य